GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

(RAILWAY BOARD)

****

No.2011/TG.I/20/P/R. Form New Delhi, dated 9.08.2017

1. The Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.

2. General manager/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 57 of 2017)

Sub: Introduction of give up scheme for the concession to senior citizens and rationalization of scheme of senior citizen concession.

Ref: This office letter no. TC-II/2196/2017/Sr. Citizen dated 11.07.2017

A scheme has been introduced, vide letter referred above, to provide an option to senior citizens of Indian nationality for giving up the concession granted to senior citizens. As per the scheme, senior citizens can opt to give up 50% or 100% of element of concessional amount. The scheme has been introduced for reserved tickets including both those issued through PRS counters and those through internet (e-tickets). CRIS and IRCTC have been advised to make necessary changes in the software, accordingly.

2. In view of above, it has been decided to modify the reservation form to include a column where senior citizens can exercise option of giving up 50% or 100% of the element of concessional amount. A copy of revised reservation/cancellation form is enclosed. Necessary action may be taken accordingly under intimation to all concerned.

9/8/17

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

RESERVATION/CANCELLATION REQUISITION FORM

If you are a Medical Practitioner, please tick (✓) in box Dr. [ ]
(You could be of help in an emergency)

If you are Pregnant Women and want to get Berth in Quota, please tick (✓) in box [ ]
If yes, please submit certificate of Regd. Doctor.

If you want Sr. Citizen Concession, please write **YES/NO** in box [ ]
(If Yes, please carry a proof of age during the journey to avoid inconvenience of penal charging under extant Railway Rules.)

If you want to give up Sr. Citizen Concession, please indicate the element of concessional amount , you want to give up : 50% [ ] or 100% [ ]

Do you want to be upgraded without any extra charge?
Write YES/NO in the box. [ ]
(If this option is not exercised, full fare paying passengers may be upgraded automatically)

If you are traveling in 3 AC Class of Garib Rath Express Train or in Sleeper Class of Duronto Express Train, do you want bedroll in train? Write YES/NO in the box. [ ]

Train No. & Name.. Date of Journey..
Class..No. of Berths/Seats..
Station From..To..
Boarding at..Reservation upto..
Mobile No..(for PNR Status update through SMS)

S. No.	Name in Block Letters (not more than 15 letters)	Nationality	Gender M/F or T(M/F)	Age	Concession/ Travel Authority No.	Choice, if any
1.						Lower/ Upper berth
2.						
3.						Veg./Non-Veg (for Rajdhani/ Shatabdi Express only)
4.						
5.						
6.						

CHILDREN BELOW 5 YEARS (FOR WHOM TICKET IS NOT TO BE ISSUED)

S. No.	Name in Block Letters	Gender M/F or T(M/F)	Age
1.			
2.			

ONWARD/RETURN JOURNEY DETAILS

Train No. & Name..Date of Journey..
Class................................Station From................................To..
Name of Applicant..
Full Address..
....

Signature of the Applicant/Representative

Telephone No./Mobile No., if any.. Date................................Time................................

FOR OFFICIAL USE ONLY

S. No. of Requisition................................ PNR No..
Berths/Seat No................................Amount collected..

Signature of Reservation Clerk

Note:
1. Maximum permissible passengers is 6 per requisition. (except in case of Tatkal ticket)
2. One person can give one requisition form at a time. (except in those cases involving onward and return journey of same party)
3. Please check your ticket & balance amount before leaving the window.
4. Form not properly filled in or illegible shall not be entertained.
5. Choice is subject to availability.
6. Passengers booked on single ticket may or may not get compact accommodation in the upgraded class.
7. Pregnant Women can get lower berth reserved for self on first-cum-first served basis against Sr. Citizen Quota.
8. During the journey, one of the passengers has to produce one of the prescribed proofs of identity (in original).

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)
*****

स. 2011/टीजी.।/20/पी/आर.फार्म नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2017

1. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2. महाप्रबंधक/पीआरएस,
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

(2017 का वाणिज्य परिपत्र सं. 59)

विषय: वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत को छोड़ने की योजना की शुरुआत करना और वरिष्ठ नागरिक रियायत योजना को युक्तिसंगत बनाना।

संदर्भ: इस कार्यालय का दिनांक 11.07.2017 का पत्र सं. टीसी-।।/2196/2017/सीनियर सिटिजन.

उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली रियायत को छोड़ने के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों को विकल्प मुहैया कराने की एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अनुसार वरिष्ठ नागरिक, रियायती राशि के अंश का 50% अथवा 100% छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। यह योजना आरक्षित टिकटों के लिए आरंभ की गई है, जिसमें पीआरएस काउंटरों तथा इंटरनेट (ई-टिकटों) दोनों के माध्यम से जारी की गई टिकटें शामिल हैं। तदनुसार, क्रिस तथा आईआरसीटीसी को सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सूचित किया गया है।

2. उपर्युक्त को देखते हुए, एक कॉलम, जिसमें वरिष्ठ नागरिक रियायती राशि के अंश का 50% अथवा 100% छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, को शामिल करने के लिए आरक्षण फॉर्म में आशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इस पत्र के साथ संशोधित आरक्षण/रद्दकरण फॉर्म की प्रतिलिपि संलग्न है। तदनुसार सभी संबंधितों को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित:</u>

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), प्रमुख निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) एवं सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-।, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर,लखनऊ- 2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

******

GIVE UP SCHEME

आरक्षण/रद्दकरण मांग पत्र

- यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही (√) का निशान लगाएं (आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है) डॉ [ ]

- यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत शायिका आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया बाक्स में (√) का निशान लगाएं. यदि हाँ, तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें. [ ]

- यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हां/नहीं लिखें. [ ]
(यदि हां, तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण साथ रखें)

- यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया रियायती राशि का वह अंश, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, को दर्शाएं 50% [ ] अथवा 100 % [ ]

- क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते है तो कृपया बाक्स में हॉं/नहीं लिखें. [ ]
(यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वत:अपग्रेड किया जा सकता है)

- यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय श्रेणी वातानुकुलित श्रेणी या दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं? बाक्स में हॉं/नहीं लिखें. [ ]

गाड़ी सं. और नाम........................... यात्रा की तारीख ....
श्रेणी .... शायिकाओं/सीटों की सं. ....
स्टेशन से .... जिस स्टेशन तक ....
यात्रा आरंभ करने का स्टेशन......................स्टेशन तक आरक्षण ....
मोबाइल सं. ....(एसएमएस के जरिए पी.एन.आर.की अद्यतन स्थिति बताने के लिए)

क्र.स.	नाम स्पष्ट अक्षरों में(15 अक्षरों से अधिक न हो)	राष्ट्रीयता	लिंग (पु./स्त्री) या टी (पु./स्त्री)	आयु	रियायत/ यात्रा प्राधिकार सं.	विशेष मांग, यदि कोई हो
1.						निचली/ऊपरी शायिका
2.						
3.						शाकाहारी/मांसाहारी (केवल राजधानी/ शताब्दी एक्सप्रेस के लिए)
4.						
5.						
6.						

5 साल से कम आयु के बच्चे (जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं)

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में	लिंग (पु./स्त्री) या टी (पु./स्त्री)	आयु
1.			
2.			

<u>आगे की / वापसी यात्रा का विवरण</u>

गाड़ी सं. और नाम......................... .... तारीख ....
श्रेणी ....स्टेशन से... स्टेशन तक ....
आवेदक का नाम ....
पूरा पता ....
....

आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं./ मोबाइल नं (यदि कोई हो)..तारीख................................समय............

<u>केवल सरकारी प्रयोग के लिए</u>

मांग पत्र की क्रम सं. .... पी.एन.आर. सं...
शायिका / सीट सं.. वसूल की गई राशि ....

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

नोट: 1. एक मांग-पत्र के साथ अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं. (तत्काल टिकट को छोड़कर)
2. एक व्यक्ति एक बार में केवल एक मांग-पत्र दे सकता है. (उसी यात्री की आगे की/वापसी यात्रा को छोड़कर)
3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपनी टिकट और शेष राशि की जांच कर लें.
4. ठीक ढंग से न भरे गए या अपाठ्य फार्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे.
5. विशेष मांग पर केवल स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा.
6. एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों की अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकट्ठे भी स्थान दिया सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है
7. अकेले यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर निचली शायिका आरक्षित करवा सकती हैं.
8. यात्रा के दौरान किसी एक यात्री को कोई एक निर्धारित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। (मूल रूप में)